तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भानीगर बनाम भीखगर आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –85 / 2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पैतृक जोत खातेदारी चक 239–935 आरडी(आर) के मु.नं. 107 / 41 में तादादी 11 बीघा एवं मु.नं. 107 / 49 में 11.06 बीघा कुल तादादी 22.06 बीघा हैं। प्रार्थी को फिलहाल अर्जित हक के तौर पर मु.नं. 107 / 41 के किला नम्बर 24,25 तादादी 2 बीघा एवं मु.नं. 107 / 49 के किला नम्बर 19ता22 तादादी 2.17 बीघा कुल तादादी 4.17 बीघा पर भौतिक कब्जाकास्त में प्रदान कर दी हैं। अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी के अतिरिक्त ढाणी आनेजाने वाले मजदूर कारिन्दे, डाक्टर आदि के आवागमन में बाधा डाल रहे हैं उन्हे आने जाने नहीं देते हैं। वादके कारण के आधार पर वाद न्यायालय में जैरकार हैं। एवं स्थगन से रिकार्ड व मौका की यथास्थिती प्रभावी हैं। अतः अवागमन हेतु 8 बिस्वा रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत किया जाकर अंकन के आदेश प्रदान किया जावे। हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी चक 239–935 आरडी(आर) संवत् 2073–76 के मु.नं. 107 / 41 में तादादी 11 बीघा एवं मु.नं. 107 / 49 में 11.06 बीघा कुल तादादी 22.06 बीघा हैं। नजरी नक्शा का अवलोकन किया । पूर्व में उक्त भूमि के सम्बन्ध में वाद एवं अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में विचाराधीन हैं। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी । हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता बिना भूमि विभाजन ही चाहा गया है । वर्तमान में उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन है अतः भूमि स्थिति स्पष्ट न होने के अभाव में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के अन्तर्गत हमें रास्ता स्वीकृत के आदेश देना नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagirath Shakh Date: 2021.07.29 11:43:37 IST Reason: SelfAttested	